

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीबालाह / गजान-द

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम

158
2017.

में किये गये कथनों पर गुणावगुण पर निर्णय उभयपक्ष की सुनवाई एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन उपरान्त किया जा सकेगा। इस स्टेज पर प्रस्तुत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्रथमदृष्टया अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय हाजा को प्राप्त होने के परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 8-1-2018 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

08/01/18

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
दिनांक 08/02/18 को पेश हो।

8/2/18

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित ^{रेस्पों} रिस्पों की तहकी हेतु रिमि. ए.जी. गोस ^{प्रस्तुत रिमि. जावे जो जारी है।}
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 18/5/18 को पेश हो।
श्री. उभयपक्ष को सद्यति से जागृता पेशी
दि. 18.03.18 निमत से जाती है।

20/3/18

अभि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 03/4/18 को पेश हो।

03/4/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। कायबस्त अपीलार्थी
उपाक्षिप्त नहीं हुए। उन्हें बार-बार लगातार
जावाते लगातार जारी, लेकिन वे कुतुपाक्षिप्त
ही रहे। अपीलार्थीगण स्वयं भी कुतुपाक्षिप्त
रहे। अतः अपील अपीलार्थीगण कडम
पेशी व कडम हाजरी में खारिज की
जाती है। तदनुसार पत्रावली फंसल बुकार
केवल बार तकमील जारी रखी है।